

कार्यक्रम का नाम: Health and Wellness Centre

बजट/एफ.एम.आर. शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): e-Sanjeevani Telemedicine

नया बजट क्रम संख्या/एफ.एम.आर. संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): 17.2.1

पुराना बजट क्रम संख्या/एफ.एम.आर. संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): 17.2.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

राज्य में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। विकसित किए जा रहे इन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर Telemedicine की सुविधा Hub एवं Spokemethod से प्रदान किया जाना है। वर्तमान में e-Sanjeevani.in के द्वारा सामान्य चिकित्सकीय परामर्श Telemedicine के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ii) शीघ्र ही विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श भी इस Platform से उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु AIIMS पटना एवं राज्य के छः चिकित्सा महाविद्यालय (कुल सात) को Hub के रूप में एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को Spokes के रूप में जोड़ा जाना है। विशेषज्ञ परामर्श हेतु Hub के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के लिये मानदेय अनुमान्य है। प्रथम चरण में Obs/Gynae, Paediatrics एवं General Medicine के विशेषज्ञों से ही परामर्श उपलब्ध कराया जाना है।

(iii) e-SanjeevaniOPD के माध्यम से जनमानस सीधे HUB के चिकित्सा पदाधिकारी से चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकता है।

इकाई राशि (रु० में) : (i) प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय को 52 Session प्रतिमाह हेतु प्रति Session रु० 2000/-की दर से चिन्हित छः चिकित्सा महाविद्यालयों (यथा- पटना चिकित्सा महाविद्यालय-पटना, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय-पटना, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय-भागलपुर, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय-लहेरियासराय, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय-मुजफ्फरपुर, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय-गया) को 12 माह हेतु (52X2000X12=1248000X6=रु० 7488000/-) राशि उपबन्धित है।

(ii) AIIMS Patnaके द्वारा तीन विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के मानदेय मद में रु० 1,35,994/-प्रति माह की दर से एक साल के लिए कुल रु० 4895784/-की राशि उपबन्धित है। इस हेतु अनुमति राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के पत्र संख्या 5675 दिनांक 06.11.2020 के द्वारा सुसूचित है।

वित्तीय दिशा निर्देश : भारत सरकार, के Telemedicine Guideline के अनुरूप राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों को Telemedicine Hub के रूप में विकसित किया जा रहा है। छः चिकित्सा महाविद्यालयों यथा पटना चिकित्सा महाविद्यालय-पटना, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय-पटना, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय-लहेरियासराय, दरभंगा, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय-मुजफ्फरपुर, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय-भागलपुर, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय-गया में e-Telemedicine सेवा प्रदान किया जाना है।

(अविनाश कुमार पाण्डेय)

राज्य कार्यक्रम प्रबंधक

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना

plaozmy

2

विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रत्येक परामर्श हेतु ₹0 2000/- ₹0 प्रत्येक Session की दर से भुगतान किया जाना है। कार्यालय आदेश के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय का Hub, Department of PSM में संस्थापित कराया जाना है। HOD, Department of PSM अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी के द्वारा कुल चिकित्सकवार सम्पन्न Sessions के आधार पर ही विशेषज्ञ चिकित्सकों को ₹0 2000/- प्रति session के दर से भुगतान किया जाना है। प्रत्येकचिकित्सा महाविद्यालय को 52 Sessionप्रतिमाहप्रति Session₹0 2000/-की दर से कुल- ₹0 104000/-प्रति माह जो कि प्रति वर्ष ₹0 1248000 प्रति चिकित्सा महाविद्यालय होगा। इस दर से कुल छः चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए ₹0 7488000/-उपबंधित है।

इसके अतिरिक्त Telemedicineकी सेवायें उपलब्ध कराने हेतु AIIMS Patnaके द्वारा तीन विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों हेतु ₹0 1,35,994/-प्रति माह की दर से एक साल के लिए कुल ₹0 4895784/- की राशि उपबंधित है।

इस सदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो तो पत्र संख्या एवं तिथि के साथ उल्लेख करें:

(क) कार्यालय पत्र संख्या 5690 दिनांक 06.11.2020 (ख) 5675 दिनांक 06.11.2020

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डॉ.ए.के. शाही/डॉ० माज् इकबाल
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर: 8544402010/9470003070

Maajum

Dr. A.K. Shahi
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

AV
(अविनाश कुमार पाण्डेय)
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना